



पत्रांक/२०२ /पत्रा०सं०:1174 /बी०टेक० /DSMNRU /2021-22

दिनांक- २६ अप्रैल, 2022

/निलंबन-आदेश/

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की आख्या के आधार पर मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनार्तगत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में अध्ययनरत निम्नांकित छात्रों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण होने तक परीक्षा एवं शिक्षण गतिविधियों में सम्मिलित होने से वंचित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है-

क्र० सं०	छात्र का नाम	पिता का नाम	रोल०न०	ब्रान्च एवं सेमेस्टर का नाम	स्थायी पता
01	मो० फैज,	श्री फईम अहमद	208330163	तृतीय सेमेस्टर B.Tech (ECE)	गांव- मुडसैना मदारी, तहसील- अमरिया, जिला- पीलीभीत, यू०पी०
02	श्री नदीम खान,	मो० सुहैल खान	208330164	तृतीय सेमेस्टर B.Tech (ECE)	प्रोफेसर कालोनी सिविल लाइन, बलिया, यू०पी०

इसी क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के मुख्या नियंता प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्रों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० अमित कुमार राय)  
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. माननीय कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य नियंता, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. प्रभारी, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालय।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित छात्रों के मूल पते पर उनके माता/पिता/अभिभावक को सूचित किये जाने हेतु।

(डॉ० अमित कुमार राय)  
कृते कुलसचिव